इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2012—माघ 10, शक 1933

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्र. एफ. 25-16-2008-दस-2.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 7 दिसम्बर 2011 को हुई बैठक में "मध्यप्रदेश सड़क/नहर किनारे तथा अन्य गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण नीति 2011" पर सहमति व्यक्त की गई है. सर्व साधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन "राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, अपर सचिव.

"मध्यप्रदेश सड़क/नहर किनारे तथा अन्य गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण नीति-2011"

राज्य शासन एतद्द्वारा सड़कों तथा नहरों के किनारे तथा अन्य गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण के उद्देश्य से निम्नानुसार नीति निर्धारित करता है :—

1. सड़कों तथा नहरों के किनारे तथा अन्य गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण करने/कराने हेतु वन विभाग "नोडल एजेंसी" होगा. सड़कों में राज्य शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई एवं संधारित की जाने वाली सड़कें सम्मिलित होंगी. नहरों के अन्तर्गत वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की मुख्य नहरें सम्मिलित होंगी.

2. नोडल एजेंसी द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए रोपण एजेंसी का चयन निम्नानुसार किया जाएगा :—

- वृक्षारोपण निजी पूंजी निवेश से पीपीपी (Public Private Partnership) पद्धति, सक्षम स्वसहायता समूह, वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं अथवा सड़क किनारे लगी भूमि के कृषकों के माध्यम से संपन्न कराया जावेगा. निजी पूंजी निवेश के प्रकरणों में रोपण एजेंसी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा. जो एजेंसी शासन से न्यूनतम सहायता की अपेक्षा करेगी उसे अन्य तकनीकी अर्हतायें पूर्ण करने की स्थिति में चयनित किया जायेगा. यदि सक्षम स्वसहायता समूह वृक्षारोपण करने हेतु इच्छुक हो, तो उन्हें निजी पूंजी निवेशकों की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी.

- ऐसे स्थलों पर जहां निजी पूंजी निवेश, स्वसहायता समूह पंचायती राज संस्थाओं एवं कृषकों के माध्यम से रोपण संभव न हो वहां वन विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा अन्य स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त कर रोपण का कार्य किया जा सकेगा.

3. नोडल एजेन्सी से रोपण की योजना अनुमोदित करवाने के उपरांत ही रोपण किया जाएगा.

4. संबंधित भूमि पर अधिकार रखने वाली संस्था/विभाग से भविष्य की आवश्यकताओं की संभावना के प्रकाश में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही वृक्षारोपण किया जाएगा.

5. सड़क/नहर के किनारे वृक्षारोपण करने वाली एजेंसी को निम्नानुसार उत्पाद प्राप्त करने का अधिकार होगा :—

(1) पी. पी. पी. के अन्तर्गत रोपण के काष्ठ उत्पाद का एक तिहाई तथा फल पर शतप्रतिशत अधिकार होगा.
(2) वन विभाग द्वारा किये गये रोपण का अनुमोदित योजना के अनुरूप अधिकार होगा.
(3) स्वसहायता समूहों, पंचायतों एवं किसानों द्वारा फलदार एवं जलाऊ रोपण करने पर शतप्रतिशत अधिकार होगा.

6. जिस विभाग की भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, उस विभाग को उस भूमि की आवश्यकता होने पर वृक्ष काटकर उस विभाग को भूमि उपलब्ध कराई जावेगी.

7. रोपण हेतु प्रत्येक इकाई 10 हेक्टेयर से कम होगी, ताकि रोपण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान आकर्षित न हों. साथ ही किये जाने वाले प्रत्येक वृक्षारोपण को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-241 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के अधीन सुसंगत अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा.

8. सड़क/नहर किनारे वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिये की गई फेंसिंग के बीच-बीच में किसानों को अपनी भूमि पर आने जाने के लिये परम्परागत रास्ता उपलब्ध कराया जायेगा.

9. सड़क/नहर किनारे की तथा अन्य गैर वन भूमि पर किए गये समस्त वृक्षारोपणों की जानकारी रोपण एजेंसी द्वारा रोपण से पूर्व परिक्षेत्र कार्यालय में उपलब्ध कराई जावेगी. इसमें रोपण एजेंसी, रोपण का ले-आउट, रोपित पौधों की संख्या एवं प्रजाति, रोपण अवधि इत्यादि की जानकारी सम्मिलित होगी. उक्त समस्त अभिलेख वन विभाग द्वारा रखे जावेंगे.

10. वृक्षारोपण की शासकीय भूमि रोपण एजेंसी को आवंटित नहीं की जाएगी, तथा भूमि पर रोपण एजेंसी का कोई अधिकार नहीं होगा. भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा. भूमि की आवश्यकता होने पर वृक्ष काटकर भूमि शासन, संबंधित विभाग एवं संस्था को वापस की जावेगी.

11. वृक्षों को काटने के लिये रोपण एजेंसी द्वारा परिक्षेत्र कार्यालय को नियमानुसार 15 दिवस पूर्व कटाई करने की मंशा की सूचना दिया जाना होगा. वनोपज का विदोहन तथा परिवहन विद्यमान प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.